UPKS010008722026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय –द्वितीय, कौशाम्बी।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –178/2026

श्रेजल उर्फ सूजल पुत्र कमलेश भारती निवासी ग्राम चकिया थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार

... अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०– 329/2025
धारा 310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस.
थाना – पिपरी, जनपद कौशाम्बी।

01–04–2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** द्वारा जरिये अधिवक्ता उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/जगजीवन प्रसाद गुप्ता पुत्र बनवारी लाल, ग्राम रतगहा, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी का निवासी है। वह दिनांक 16.12.2025 को सुबह लगभग सवा चार बजे समाचार पत्र लेने साईकिल से थाना पूरामुफ्ती चैराहा जा रहा था कि वन्दराही बाग के पास दो मोटर साईकिल पर चार अज्ञात लोगों ने उसको रोककर गाली गलौज करते उसका मो0न0–7054764947 कीपैड एवं जेब से लगभग 700 रुपया छीन लिया और उसको तमंचा लगाते हुए धमकी दी यदि शोर किया तो तुम्हें गोली मार देगें। वह डरा–सहमा थाना पूरामुफ्ती समाचार पत्र लेने चला गया और लगभग 11.00 बजे तक समाचार पत्र बांटकर वापस डरा–सहमा घर गया। इन्हीं आधारों पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी द्वारा घटना की सूचना अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई बल्कि पुलिस द्वारा गलत बरामदगी दिखायी गयी है। उपरोक्त मुकदमे में कोई भी स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।

जमानत की शर्तो का अक्षरशः पालन करेगा। पुलिस द्वारा बरामदगी के समय विधि का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी सीधा साधा गरीब व्यक्ति है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ और उसके ऊपर आरोपित अपराध नहीं बन रहा है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क करते हुए अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** पर तीन अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 16.12.2025 को सुबह लगभग सवा चार बजे, स्थान वन्दराही बाग के पास वादी मुकदमा/जगजीवन प्रसाद गुप्ता से तमंचे के बल पर मो0 न 0–7054764947 कीपैड एवं जेब से लगभग 700 रुपया इत्यादि की लूट/डकैती किये जाने का आरोप लगाया गया है। कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता व विद्वान् अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं जमानत प्रार्थना पत्र व अभियोजन की ओर से उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** पर तीन अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 16.12.2025 को सुबह लगभग सवा चार बजे, स्थान वन्दराही बाग के पास वादी मुकदमा/जगजीवन प्रसाद गुप्ता से तमंचे के बल पर मो0 न 0–7054764947 कीपैड एवं जेब से लगभग 700 रुपया इत्यादि की लूट/डकैती उस समय किये जाने का आरोप अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है जब वह समाचार पत्र लेने साईकिल से थाना पूरामुफ्ती चैराहा जा रहा था। प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस टीम द्वारा दिनांक–22.12.2025 को डकैती में लूटे गये माल व रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण के पास से प्रश्नगत मुकदमे की बरामदगी के अतिरिक्त मु0 अ 0 सं0–326/2025 अन्तर्गत धारा–310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस. थाना–पिपरी, मु0 अ 0 सं0–331/2025, धारा–310(2), 317(3), 317(4) व 109(1) बी.एन.एस., थाना पिपरी व मु0 अ 0 सं0–250/2025 अन्तर्गत धारा–309(4) बी.एन.एस, थाना चरवा, कौशाम्बी के मामलों में लूटे गये माल की भी बरामदगी सुनिश्चित करते हुए तीन अदद मोटर साईकिल (बिना नम्बर प्लेट), 11 अदद मोबाइल फोन, नगद लूट के रूपये, एक अदद वीडियों कैमरा (सोनी व रंग काला) मय स्टैण्ड मय एसेसरीज मय दो अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस मय दो अदद

खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है जिससे प्रकट होता है कि अभियुक्त पर समान प्रकृति के कई मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज है। मामला अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार–अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है। यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की शर्तो का उल्लंघन करेगा। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मामले में सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जमानत के स्तर पर अन्य जो भी तर्क आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये है, वह साक्ष्य का विषय है तथा जमानत के स्तर पर न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाती है।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में संकलित साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **श्रेजल उर्फ सूजल** की ओर से मु0अ0सं0–**329/2025, धारा–310(2), 317(3), 317(4) बी.एन.एस.**, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–01.04.2026

(पूर्णिमा प्राँजल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–II
कौशाम्बी।
आई.डी.नं०–यू०पी० 1839

Digitally signed by Purnima Sagar
Date: 2026.04.01 16:43:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court